न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 115/2025 बउनवानी दीपेन्द्र कुमार जागा **बनाम** तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री धन्ना लाल जागा निवासी ,80 श्याम वाटिका हाउसिंग बोर्ड सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 270

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
8.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.5.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"विस्थापित ग्राम मोरडूंगरी मे संबंधित संलग्न ख0न0 121,14,25,39,40 के भूमि मालिकाना हक सर्म्पण जो रणथम्भोर बाघ परियोजना के संबंध में सूचना, 2009–2010 से आज वर्तमान तक विभाग की ओर से कोई भी भूमि समर्पण संबंधित कार्यवाही/कार्यालय आदेश पत्र, ग्राम विस्थापन हो जाने पर भी जिस भूमि का सम्पर्ण खातेदार द्वारा नही किया तो 2009–2010 से वर्तमान तक विभाग की ओर से कार्यवाही के पत्र/नोटिस/आदेश की प्रमाणित सूचना।"* तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू.अ./2025/8876 दिनांक 29.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.5.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तहसील कार्यालय सवाईमाधोपुर मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। किन्तु सूचना उपलब्ध नही होने के संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने जवाब के साथ न्यायालय मे पेश नही किया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अधिनियम के प्रावधानानुसार नियत समयावधि मे निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर